

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं0..... डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना दिनांक.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-खरसर, परगना-बरैल थाना-वारिसनगर, थाना नं0-75 जिला-समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् सोरमारहाट-हायाघाट तटबंध के 1.26 कि0मी0 से 15.40 कि0मी0 तक बाँध ऊँचीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम खरसर के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश 20.37 एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 1432, 1445, 1450, 1451, 1452, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1482, 1490, 1492, 1493, 1495, 1499, 1500, 1501, 1505, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1518, 1579, 1580, 1582, 1586, 1591, 1647, 1700, 1704, 1705, 3118, 3119, 3122, 3126, 3127, 3128, 3284, 3286, 3293, 3294, 3302, 3340, 3341, 3345, 3346, 3347, 3362, 3363, 3364, 3367, 3369, 3371, 3372, 3374, 3382, 3383, 3385, 3386, 3387, 3388, 3390, 3406, 3409, 3410, 3412, 3414, 3415, 3417, 3421, 3422, 3424, 3427, 3455, 3460, 3461, 3462, 3470, 3472, 3473, 3483, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3496, 3497, 3499, 3500, 3501, 3503, 3504, 3512, 3533, 3534, 3535, 3536, 3545, 3552, 3553, 3618, 3619, 3622, 3626, 3627, 3629, 3630, 3631, 3641, 3642, 3643, 3646, 3647, 3652, 3653, 3654, 4103, 4104, 4105, 4106, 4125, 4131, 4132, 4134, 4139, 4141, 4154, 4155, 4161, 4162, 4163, 4176, 4177, 4179 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 1494, 1506, 1507, 1508, 1512, 1517, 1581, 1587, 1588, 1589, 1590, 1698, 1699, 1701, 1702, 1703, 1706, 1707, 3120, 3121, 3123, 3124, 3125, 3285, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3368, 3373, 3384, 3389, 3407, 3408, 3413, 3418, 3419, 3420, 3423, 3425, 3426, 3484, 3485, 3486, 3487, 3495, 3546, 3548, 3551, 3620, 3621, 3623, 3625, 3628, 3644, 3655, 4133, 4140, 4142, 4143 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या 1432, 1445, 1552, 1475, 1576, 1477, 1478, 1479, 1482, 1492, 1495, 1499, 1500, 1501, 1505, 1510, 1511, 1513, 1518, 1517, 1514, 1579, 1580, 1582, 1587, 1591, 1647, 1700, 3118, 3119, 3122, 3129, 3127, 3126, 3128, 3294, 3293, 3294, 3302, 3339, 3341, 3346, 3345, 3347, 3362, 3363, 3364, 3367, 3369, 3372, 3374, 3382, 3383, 3385, 3386, 3387, 3388, 3390, 3406, 3410, 3412, 3414, 3415, 3417, 3422, 3424, 3425, 3355, 3460, 3461, 3472, 3470, 3473, 3483, 3488, 3490, 3492, 3493, 3497, 3499, 3500, 3501, 3503, 3504, 3512, 3533, 3534, 3535, 3536, 3545, 3449, 3553, 3618, 3619, 3622, 3626, 3627, 3629, 3630, 3631, 3643, 3642, 3641, 3645, 3646, 3647, 3652 एवं पूर्ण खेसरा संख्या 1697, 1702, 1704, 1705, 3494 है।

पूरब:- सीमा रेखा ग्राम रतवारा।

दक्षिण:- साबिक तटबंध खेसरा सं0 1708, 4103, 4104, 4105, 4125, 4130, 4131, 4132, 4134, 4139, 4141, 4154, 4155, 4154, 4161, 4163, 4177, 4176, 4178, 4177 है।

पश्चिम :- जटमलपुर ढाव।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल की राय से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
समस्तीपुर।

अपर समाहर्ता,
समस्तीपुर।

समाहर्ता
समस्तीपुर।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1183/डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना

दिनांक-29-04-13

प्रतिलिपि:- जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

~~अनु-~~ यथोक्त।

सरकार के सचिव

~~ज्ञापांक~~ / ~~डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर पटना~~ ~~दिनांक~~

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू-अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

अनु:- यथोक्त।

25/4/13
सरकार के सचिव